न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास जिला भरतपुर

प्रार्थनापत्र स001/16

1–बच्चूसिह पुत्र कचंनसिह जाति जाटव निवासी बसई तहसील रूपवास जिला भरतपुर
प्रार्थी

बनाम

1–गिरधरसिह पुत्र बनयसिह जाजि गूजर निवासी बरौदा तहसील बयाना जिला भरतपुर
अप्रार्थी

पीठासीन अधिकारी :– श्री पी.आर0मीना0 आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी रूपवास

उपस्थित
1–श्री शंकरदयाल शर्मा अभिभाषक प्रार्थी
2–श्री ललित मोहन अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 9-3-18

सक्षेपतः प्रार्थनापत्र के तथ्य निम्न प्रकार है – प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 आरटीए के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विवादित आराजी खसरा न0 1853/463 रकवा 3–12 बीघा बाके ग्राम रूदावल तहसील रूपवास में स्थित हे । जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बिक्रयपत्र आराजी के खातेदार अमरसिह पुत्र किशनसिह से खरीद किया है। तथा1/5 हिस्सा सुरेश पुत्र श्यामलाल जाति जाटव से जरिये इकरारनामा खरीद किया है इस प्रकार प्रार्थी उक्त विवादित आराजी का 2/9 भाग का खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। विवादित आराजी में भगवानसिह पुत्र संन्तोकी 1/4 भाग भगवान पुत्र सुखदास 1/4 ओमप्रकाश पुत्र शिवचरन1/2 हिस्सा के खातेदार है जिनके विरूद्वपूर्व से विभाजन स्थाई निषेधाज्ञा लम्बित वाद होने के कारण पक्षकार मुकदमा नही बनाया है । प्राथ्री द्वारा विवादित आराजी से 2/9 हिस्सा खरीद करकने से पूर्व विवादित आराजी के खातेदारान ने मौके पर आपस मे मनवट कर रखा थाजिसके मुताबिक अमरसिह का हिस्सा विवादित आराजी में तरफ दक्षिण की ओर बयाना रूदावल सड़क से रूदावल हनुमान मन्दिर को जाने वाली सड़क की तरफ उत्त्र सडक के सहारे लगा हुआ था जिसका पूर्वी सिरा रूदावल बयाना सड़क से लगा हुआ है इसी प्रकार सुरेश खातेदार का हिस्सा अमरसिह खातेदार के तरफ उत्तर की ओर मौके पर मौजूद है जिसका पूर्वी सिरा भी सड़क रूदावल बयाना से लगा हुआ हैं इस प्रकार प्रार्थी का हिस्सा पूर्व से पश्चिम लम्बाई में हनुमान मन्दिर सड़क से व उत्तर से दक्षिण चौड़ाई में रूदावल वाली सड़क से लगा हुआ हैं । उसी प्रकार वादी प्रार्थी मौके पर काबिज है तथा प्रार्थी अपनी आराजी की चारदीवारी करवाना चाहता हे जिसके प्रार्थी ने पत्थर डलवारखे है । खसरा न0 463 काफी बड़ा नम्बर हे । जिसकी जमाबन्दी के मुताबिक विभाजन किया हुआ तथा

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास (भरतपुर)

खसरो में किसी प्रकार तरमीम नही है । जिसका लाभ लेते हुये अप्रार्थी ने खसरा न0 463 के 853/463 से मिन्न463 के दूसरे नम्बर में 1/20हिस्सा यानि 2 बिस्वा का एक बिकयपत्र बनावटी तैयार देवकी नन्दन ब्राहम्ण से अपने पक्ष में तहरीर वतस्दीक करा लिया है। जबकि खसरा न0 463 में किसी भाग पर बिक्रेता देवकीनन्दन का मौको पर कोई कब्जा नही था अप्रार्थी अपने हक में हुये बिक्रय पत्र की आड़ में वादी के हिस्से की भूमि सड़क रूदावल बयाना तरफ पश्चिम की ओर जो कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी है। पर अतिक्रमण करना चाहता है तथा मौके पर पत्थर डालने की फिराक में है। जिसका अप्रार्थी को कोइ वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है। दिनांक 5–1–16 को अप्रार्थी अपने ट्रैक्टर से पत्थर लेकर आया था और प्रार्थी की आराजी में जबरन पत्थर डलवाने लगा जिसका प्रार्थी ने विरोध किया । तो अप्रार्थी ने प्रार्थी की हिस्से के आराजी पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी । यदि अप्रार्थी अपने उपरोक्त उददेश्य में सफल हो गया तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई पैसो से नही की जा सकती है। इसलिये अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कराया जाना आवश्यक हो गया हें । प्राईमाफेसी केस सुबिधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हे कि विवादित आराजी खसरा 1853/463 बाके ग्राम रूदावल जो सड़क रूदावल बयाना व सड़क रूदावल बयाना से हनुमान मन्दिर जाने वाली सड़क से लगा हुआ है। अप्रार्थी प्रार्थी के कब्जे में कोई हस्तक्षेप नही करे और ना ही उपयोग उपभोग में बाधा पैदा नही करे किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नही करें इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पावन्द फरमाया जावे ।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञासे पावन्द करते हुये तलब किया गया । अप्रार्थी स01 ने उपस्थित होकर जबाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थनापत्र की मद स0 1पेश होना स्वीकार हैं अन्य तथ्य स्वीकार नही है। मद स0 2 प्रार्थनापत्र में आराजी पेश होना स्वीकार है अन्य तथ्य स्वीकार नही है। मद स0 3,4,,5,6 जिस प्रकार से वर्णित की गई हे वे स्वीकार नही हैं अपने विशेष विवरण में निवेदन किया है कि अप्राथी ने दिनांक 28–12–15 को आराजी खसरा 1852/463 रकवा 2 बीघा के खातेदार देवकीनन्दन पुत्र गोपालराम जाति ब्राहम्ण निवासी रूदावल से 2 बिस्वा आराजी को 12लाख रूप्ये में जरिये रजिस्टर्ड बिकयपत्र कय किया है जिस पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त हें उक्त आराजी रूदावल बयाना हाईवे स्टटे पर स्थित है। सड़क के सहारे अप्रार्थी की 60 फीट चौड़ाई में भूमि है जिसमें चारो ओर पत्थरो की कोरेर हो रही है । एक दुकान की दासे वन्दी हो रही है। तथा बीच में पत्थर रखे हुये है। तथा एक बबूल का पेड़ सरसब्ज खड़ा हुआ है । अप्रार्थी ने अपने पक्ष में जब उक्त बयनामा कराया था तब कोमशियल जमीन की रजिस्टैशन शुल्क आदा की है । प्रार्थी रूपवास बयाना क्षेत्र का बिधायक है जो काफी राजनैतिक दबाब रखता है। इस बजह प्रार्थी अप्राथी की आराजी को हड़पने की कोशिश करता है। जिसका कि उसे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है । प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को परेशान करने की नीयत से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे ।

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास (भरतपुर)

योग्य अभिभाषकगणो की बहस सुनी गई ।

प्त्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया व योग्य अभिभाषगणो की बहस पर मनन किया । प्राईमाफेसी केस, सुबिधा का सनतुलन व अपर्णनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 6–1–2016 ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता हें ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/3/18

(पी0आर0 मीना)

उपखण्ड अधिकारी

रूपवास (भरतपुर)